सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC

दिनांक: 05.12.2024

सेवा में,

1. श्री मिलिंद देउस्कर
   महाप्रबंधक,
   पूर्व रेलवे,
   नेताजी सुभाष रोड, फेयरली प्लेस,
   कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)- 700001
   Email:- gm@er.railnet.gov.in,
   Tel:- 033-22307596

2. श्री चेतना नन्द सिंह
   मंडल रेल प्रबंधक,
   कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
   डीआरएम बिल्डिंग, पूर्व रेलवे,
   आसनसोल डिवीजन,
   आसनसोल (पश्चिम बंगाल)- 713301
   Email:- drm@asn.railnet.gov.in,
   Tel:- 0341-2302319

विषय: अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर, डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2024 को 11:40 बजे, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है।

अत: आप से निवेदन है कि सिटिंग की संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट को निर्धारित समय के भीतर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रेषित करने का कष्ट करे, जिसे माननीय आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

(एच.आर.मीना /H.R Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 24641640

प्रतिलिपि :-

श्री अभिलाष लकड़ा,
मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला,
जिला - हजारीबाग (झारखंड) (Mobile No:9934955030)

Copy for information

1. PS to Hon'ble Member (AL), NCST.
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

माननीय सदस्य महोदया, डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 18.11.2024 समय सुबह 11:40 बजे, श्री अभिलाष लकड़ा, पूर्व ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्वी रेलवे को बिना पक्ष सुने रेलवे द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के संबंध में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 18.11.2024, सुबह 11:40 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक
फ़ाइल - NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC

श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) (स्थायी पता-मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला, जिला – हजारीबाग (झारखंड)) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 25.05.2024 में बताया है कि वे आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) में ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। रेलवे विभाग द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है तथा यह भी बताया की दिनांक 02.05.2021 से पूरे मई माह 2021 में अनुपस्थित थे ,किन्तु उन्हे पूरे महीने (31 दिन) का वेतन भी प्रदान किया गया है जो कि आश्चर्यजनक बात है। इसकी जांच किए जाने के संबंध में, पूर्व में भी अपने विभाग प्रमुख को लिखित आवेदन किया, जिस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई। विभाग द्वारा कार्यस्थल को जॉइन नहीं करने दिया जा रहा जिससे, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

2. NCST ने नोटिस दिनांक 17.06.2024 के द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता एवं मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल को 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु आग्रह किया।

3. इसके उत्तर में NCST को दिनांक 18.07.2024 के पत्र के माध्यम से तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया है कि CIT(G)/ASN ने 02.05.2021 से अनधिकृत रूप से श्री अभिलाष लकड़ा के बारे में कई बार शिकायत की है। सक्षम प्राधिकारी ने अभ्यावेदक की एआर की जांच रिपोर्ट अनुशासन प्राधिकारी को भेजी, हालांकि श्री लकड़ा कभी भी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अनुशासन प्राधिकारी ने रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया कि श्री लकड़ा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जाए। रेलवे के इस पत्र को, आयोग ने समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से आवेदक को सूचना हेतु भेजा।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. इसके प्रतिउत्तर में अभ्यावेदक ने दिनांक 19.10.2024 के पत्र के माध्यम से असंस्तुष्टि प्रकट की तथा न्याय की मांग की। आयोग ने इस प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को रेलवे के अधिकारीगण और आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना आयोग के Sitting Notice दिनांक 11.11.2024 द्वारा रेलवे के अधिकारीगण और आवेदक दी गयी। महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे ने अपने पत्र दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी तथा वरिष्ठ अधिकारी जो मामले की पूरी जानकारी रखते हैं उनको Sitting मे उपस्थित होने के लिए भेजा जाएगा। मण्डल रेल प्रबन्धक, आसनसोल मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 14.11.2024 के द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी तथा संबन्धित अधिकारियों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया।

5. रेलवे विभाग के संबन्धित अधिकारी उपस्थित हुए और आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। रेलवे विभाग के संबन्धित अधिकारीयों ने अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराया और बताया कि याचिकाकर्ता कभी भी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ और कई पत्रों और उससे संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद किसी भी चरण में भाग नहीं लिया। अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी उससे संपर्क करने की कोशिश की और उससे जांच रिपोर्ट पर जवाब देने को कहा। लेकिन आवेदक लगातार अनुपस्थित रहा, इसलिए जांच रिपोर्ट के अनुसार जुर्माना आदेश पारित किया गया।

6. आयोग ने पाया कि प्रकरण में अधिकारियों द्वारा आवेदक के प्रति नियमों का सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।

7. प्रकरण मे चर्चा के बाद, आयोग निम्नलिखित संस्तुतियाँ की व सुझाव दिया कि 15 दिन के अंदर की गयी/की जाने वाली कार्यवाई रिपोर्ट आयोग को भेजने का कष्ट करें। इसके उपरांत, आयोग आगे की कार्रवाई करने हेतु विचार करेगा–

1. आवेदक की उपस्थिति रजिस्टर दिनांक 01.05.2021 से 30.06.2021 तक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।
2. जांच रिपोर्ट (Inquiry Report) की प्रति प्रदान करें।
3. आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर, अपील प्रस्तुत करे।
4. रेलवे प्रशासन, आवेदक की अपील पर मानवीय आधार पर पुनर्विचार करे।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

File No NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC

List of participants of the sitting held on 18.11.2024 at 11:40 AM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST regarding श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्वी रेल्वे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।,

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	S. R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
II	पूर्व रेलवे		
Sr. No.	**Name and Designation**	**Address & Phone No.**	**Signature**
1.	ANJAN RAY CPO/IR/ER	Eastern Railway, HQ N.S. ROAD, KOL-700001	Ar.
2.	MARSHALL A SILVA Sr. DCM/ASN	DRM OFFICE ASANSOL, ER	[signature]
3.	RAJESH KUMAR PASWAN APO/III	DRM OFFICE Asansol, ER	[signature]
4.	PREMCHAND MURMU.	CTTI/ASN CIT(G)/ASN. ER	[signature]
5.	Sisir Sen	CTI/ER/ASN	[signature]
III	**Petitioner**		